

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6 / अ0-03-05 / 2016

/ पटना, दिनांक—

श्रीमती इन्दु कुमारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, कदमकुआँ अंचल, पटना को वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-640, दिनांक-19.01.2015 के अनुसार बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम 220A में निहित प्रावधान के आलोक में उनकी बच्चों की देखभाल हेतु दिनांक-02.06.2026 से 19.06.2026 तक कुल 18 (अठारह) दिनों का शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पूर्व में श्रीमती इन्दु कुमारी का विभागीय अधिसूचना संख्या-1497 दिनांक-02.06.2022 द्वारा दिनांक-25.06.2022 से 21.12.2022 तक 180 दिन एवं अधिसूचना संख्या-3545 दिनांक-27.12.2022 द्वारा दिनांक-03.01.2023 से 01.07.2023 तक 180 दिन अर्थात् कुल 360 दिनों का शिशु-देखभाल अवकाश स्वीकृत है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / —

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / अ0-03-05 / 2016 1915

/ पटना, दिनांक— 24/05/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना /राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र0), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), कदमकुआँ अंचल, पटना/नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती इन्दु कुमारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, कदमकुआँ अंचल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।